न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—82 / 2014 (2014 / 00061) वाद पत्र

उनवान

1—उदा पुत्र नाथु जाट निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—पारस आत्मज नन्दा जाट निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—जेसिंग आत्मज नन्दा जाट निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—नारायण पुत्री नन्दा पत्नि नारायण जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—कंकु बेवा नन्दा जाट निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—उपपंजीयक महोदय कार्यालय रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित
1. हरिश टेलर — वादी अधिवक्ता
2. महेश दाधीच — प्रतिवादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—22.03.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गलवा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में नरपतसिंह आत्मज शिवनाथसिंह राजपूत निवासी गलवा की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 116 / 3 रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित थी। प्रमाण मे नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित आराजियात साबिक आराजी संख्या 116 / 3 रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा मे से 1 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 11.03.1976 को बिल एवज 300 / —रूपये मे खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। वादी द्वारा क्रय की भूमि के पड़ोस पूर्व में नाथु जाट की भूमि, पश्चिम में शंकरलाल, बालुराम, मीठालाल, खेमा ब्राहम्ण के खेत उत्तर में शंकरलाल ब्राहम्ण की भूमि, दक्षिण में नन्दा जाट की खरीद शुदा भूमि व रास्ता है। वादी द्वारा खरीद शुदा भूमि के आराजी संख्या 116 / 3ख कायम करते हुए नामान्तकरण संख्या 405 से वादी के नाम दर्ज की गई जिसकी प्रमाणित प्रति पेश की है। वादी के भूमि खरीदने के पश्चात आराजी संख्या 116 / 3 मे से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि नन्दा आत्मज उदा जाट ने खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जिसके बटा नम्बर 116 / 3ग कायम करते हुए जिसका नामान्तकरण संख्या 406 दर्ज किया गया। वादी द्वारा खरीद शुदा भूमि आराजी संख्या 116 / 3ख रकबा 1 बीघा भूमि पर बहैसियत खातेदार वक्त खरीद से काबिज होकर काश्त लाभ लेता आ रहा है [illegible] बाद रोटेशन जमाबन्दी राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादी के नाम को [illegible] में यह अकिंत कर दिया कि आर.टी.ए. धारा 42 के विपरीत [illegible] में उ[illegible] खरीद शुदा भूमि को वादी के नाम दर्ज नही किया जबकि वक्त खरीद से वादी काबिज है। तहसील रायपुर [illegible] नवीन भू प्रबन्ध हुआ जिसमें ग्राम गलवा का भी भू प्रबन्ध हुआ उसमें साबिक [illegible] संख्या 116 / 3ख के नवीन आराजी संख्या 289 रकबा 0.15 है0, 288 रकबा 0.60 है0 कायम किये गये जो भू प्रबन्ध अधिकारियो ने बिना किसी विधिक अधिकार के सभी नम्बरानो को नन्दा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 13:03:27 IST
Reason: SelfAttested

आत्मज उदा जाट के नाम दर्ज कर दिये। वादी की खरीद शुदा 1 बीघा भूमि नवीन आराजी संख्या 289 रकबा 0.15 है0 व 288 रकबा 0.60 है0 मे से 0.07 है0 भूमि यानि कुल 0.22 है0 भूमि पर काबिज होकर काश्त लाभ 40 वर्षो से करता चला आ रहा है जिससे एडवर्स पजेशन के आधार पर वादी बतौर खातेदार काश्तकार अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर कभी भी प्रतिवादीगण वादी को जबरन ताकत के बल पर भूमियो से बेदखल कर सकते है तथा वादी के कब्जे में दखलदांजी कर सकते है जिससे उनके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना नितान्त आवश्यक है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिक्री खातेदारी अधिकार की बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम गलवा की नवीन आराजी संख्या 289 रकबा 0.15 है0, 288 रकबा 0.60 है मे से 0.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.22 है0 भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है व इसको बहैसियत खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजियात से वादी को बेदखल नही करे व वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नही करे व वादग्रस्त भूमियो को किसी अन्य को रहन बय बक्षीस या किसी अन्य तरीके से हस्तान्तरित नही करे व प्रतिवादी संख्या 5 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज का पंजीयन नही करे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 26.09.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 5, 6 फॉरमल पक्षकार है।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या एक गलत होने से अस्वीकार है। उक्त भूमि नरपत सिंह के नाम खातेदारी अधिकारों से दर्ज थी तथा बकौल वादी के कथनानुसार नरपत सिंह व उनके वारिस उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है "जिनको वादी ने जानबुझ कर पक्षकार नहीं बनाया है जिससे बाद प्रथम दृष्टियां ही खारिज होने योग्य है। वादी अपनी साक्ष्य से प्रमाणित करावें। प्रतिवादी संख्या एक से लगायत तीन के पिता व चार के पति नन्दा पिता उदा जाट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से तत्कालीन खातेदार नरपत सिंह पिता शिवनाथ सिंह राजपुत निवासी गलवा से तीन बीघा दस बिस्वा भूमि क्रय की थी जो प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार के नाम पूर्वाधिकारी नन्दा पिता उदा जाट के नाम नामान्तरण संख्या 406 से दर्ज रेकॉर्ड हुई जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 बेहेसियत खातेदारी अधिकारों से दर्ज हुई। तब से ही उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण के पूर्वज का व प्रतिवादीगण का स्वामित्व व आधिपत्य खातेदारी में चली आ रहा है। वादी का कभी उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है, मौके पर वादी कभी नहीं आया है। उक्त भूमि पूर्व में ही प्रतिवादी/[illegible] जिसे दुबारा विक्रय करने का ईकरार नरपत सिंह राजपूत को नहीं था जिससे [illegible] क्रय पत्र आरम्भ से ही अवैध होकर शुन्य है। साबिक आराजी संख्या 1[illegible] रकबा 24 [illegible] 19 बिस्वा थी जिसमें से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण/उत्तरदा[illegible] जो प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार के नाम दर्ज चली आ रही है जिससे [illegible] को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अवशेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। नरपत सिंह को उक्त भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था तथा तत्समय प्रभावी कानुन 42क काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 13:03:27 IST
Reason: SelfAttested

भूमि को टुकड़ों में विक्रय करने का अधिकार नहीं था निश्चित सीमा से कम भूमि विक्रय नहीं की जा सकती है तथा पड़ौस अंकित करके हिस्सा विशेष का विक्रय पत्र आरम्भ से ही अवैध व शुन्य है जिससे उक्त विक्रय पत्र आरम्भ से ही अवैध होकर शुन्य है जिसके आधार पर खोला गया नामान्तण अवैध है। बकौल वादी के कथनानुसर जब दिनांक 22.02.1978 से आज दिवस तक वादी ने कोई कार्यवाही नहीं की है तथा फ्रिगमेंटशन के तहत नियत अवधि में नरपत सिंह के विरुद्ध वादी को कार्यवाही करानी चाहिये थी जिससे अब वादी को उक्त वाद लाने का अधिकार नहीं है तथा राजस्व कर्मचारियों ने अगर कोई गलत नामान्तरण खोल दिया है तो उसे निरस्त करने के अधिकार सक्षम अधिकारियों को प्राप्त है जिससे उक्त नामान्तरण काश्तकारी अधिनियम की धारा 42क के विपरित होने से खारिज हुआ है तथा वादी का विक्रय पत्र फ्रिगमेंटशन निश्चित से कम था तथा हिस्सा विशेष पड़ौसों के मध्य का विक्रय पत्र अवैध होकर शुन्य है जिससे वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादी के नाम कभी 116/3ख नामान्तरण नहीं खोला गया बल्कि 116/3ख प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार के नाम दर्ज हुई। वादी ने 116/3ख अपने नाम होना गलत अंकित किया है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या एक लगायत छ के नाम 38 वर्षों से चली आ रही है तथा साबिक आराजी संख्या 116 का रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा का था उसमें से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार के पूर्वाधिकारी नन्दा ने क्रय की जो उनके नाम चली आ रही है तथा वादी को नरपत सिंह के वारिसों के विरूद्ध वाद पेश करना चाहिये जिससे वादी का वाद खारिज होने योग्य है। तथा कथित विक्रय पत्र आरम्भ से ही अवैध होकर शुन्य है जिससे वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है, वादी के पक्ष में खोला गया तथाकथित नामान्तरण संख्या 405 गलत तरीके से खोला गया था। काश्तकार को टुकड़ों में भूमि बेचने का अधिकार नहीं था। नामान्तरण गलत होने से धारा 42 के विपरित होने से कार्यवाही रोकी गई। मौके पर वादी का कभी कब्जा नहीं रहा है बल्कि प्रतिवादी/उत्तरदाता मौके पर अपने क्रय शुदा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर वादी का प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार की क्रय शुदा रकबे में कोई हित व दखलन नही है। वादी बेवजह प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्व वाद पेश किया है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि साबिक आराजी संख्या 116 रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा था जिसमें से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वाधिकारी नन्दा पिता उदा जाट ने क्रय की है जो नामान्तकरण संख्या 306 से नन्दा के नाम दर्ज हुई जो प्रतिवादी/उत्तरदाता के नाम चली आ रही है जिसमें वादी का कोई हित व दखलन नहीं है। वादी ने बेवजह प्रतिवादी/उत्तरदाता के विरूद्व झुठा वाद पेश किया जो खारिज होने योग्य है। वादी का तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 11.03.1976 का आरम्भ से ही अवैध है क्योंकि हिस्से विशेष का विक्रय व फ्रिगमेंटेशन निश्चित सीमा से कम का विक्रय पत्र धारा 42 (क) के विपरित होने से उक्त विक्रय पत्र आरम्भ से ही अवैध है जिससे वादी को कोई अधिकार पैदा नहीं होते हैं। प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार के मुकाबले कोई वाद कारण पैदा नहीं होते है तथा साबिक आराजी संख्या 11[illegible] नहीं है क्योंकि जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 में नामान्तरण संख्या 305 का [illegible] ही निरस्त हो गया है 116/3ख प्रतिवादी संख्या एक लगायत चा[illegible] क्षेत्रफल में 116/3ख रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा अंकित किया है [illegible] आधार के प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार के विरूद्ध वाद पेश [illegible] न क्षेत्रफल मुलाईजा है जिससे वादी का झुठा होना प्रमाणित है व वाद खारिज होने योग्य है। तत्कालीन खातेदार/विक्रेता नरपत सिंह पिता शिवनाथ सिंह के नाम 116/3 रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा भूमि दर्ज थी उसमें से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 13:03:27 IST
Reason: SelfAttested

3 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार के पूर्वाधिकारी नन्दा पिता उदा जी ने क्रय की है तथा वादी के कथनानुसार एक बीघा भूमि क्रय की तथा उक्त प्रकरण में नरपत सिंह व उसके उतराधिकारी आवश्यक पक्षकार है जिनको वादी ने जानबुझ कर पक्षकार नहीं बनाया है व पक्षकार के अभाव में वाद पोषनीय नहीं है। वादी न्यायालय के समक्ष क्लीन हेण्ड से नहीं आये है मिथ्या प्रवंचना से झुठा वाद पेश किया है। अतः वादी का वाद सपिरव्यय खारिज फरमाया जावे।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वादी द्वारा ग्राम गलवा की साबिक आराजी संख्या 116/3 रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा भूमि से उसके खातेदार नरपतसिंह पिता शिवसिंह राजपूत ने 1 भूमि वादपत्र की कलम संख्या 2 में अकिंत पड़ौसो के मध्य जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जिसका नामान्तकरण संख्या 405 दर्ज कर वादी के नाम फैसल किया गया तथा वादी द्वारा खरीदशुदा भूमि के नम्बर 116/3ख कायम किये गये। जिम्मे वादी
2. आया वादी द्वारा खरीद उक्त भूमि को रोटेशन की जमाबंदीयो में काट फांस करके आज वादी के नाम दर्ज नही कर नवीन सेटलमेंन्ट में नवीन नम्बरो को नंदा पिता उदा जाट के नाम दर्ज कर दिया फिर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया जिसको पुनः वादी अपने नाम दर्ज करवाने की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। जिम्मे वादी
3. आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री भी प्राप्त कराने का अधिकारी है। जिम्मे वादी
4. आया वादी का एडवर्स पजेशन भी है जिससे खातेदार काश्तकार होने योग्य है। जिम्मे वादी
5. आया वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रतिवादीगण के पूर्वज ने क्रय की जिसको पुनः विक्रय करने का अधिकार नही था जिससे विक्रय पत्र शुरू से ही अवैध होकर शुन्य है। जिम्मे प्रतिवादीगण
6. आया तत् समय प्रभावी कानुन 42क काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में था इसलिये ऐसा विक्रय नही हो सकता है। जिससे विक्रय पत्र अवैध व शुन्य है इसका वादपत्र पर प्रभाव क्या है। जिम्मे प्रतिवादीगण
7. आया प्रतिवादीगण के पूर्वज ने साबिक नम्बर 116/3 के रकबे 24 बीघा 19 बिस्वा भूमि मे से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि क्रय की जो उनके नाम पर दर्ज चली आ रही है। इसका वादपत्र पर क्या प्रभाव होगो। जिम्मे प्रतिवादीगण
8. अनुतोष ?

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार रायपुर ने अंकन किया कि ग्राम गलवा में आराजी संख्या 286, 287, 290, 291, 292, 293, 294, 295 किता 8 रकबा 2.81 है0 अणछी पत्नि मिठालाल, खेमा पुत्र भूरालाल (संलग्न जमाबन्दी खसरा नम्बर 222) के अनुसार दर्ज रेकार्ड है। ग्राम गलवा में आराजी संख्या 288 रकबा 0.60 है0, आराजी संख्या 289 रकबा 0.15 है0 खातेदारान कंकु पत्नि नन्दा 1/4, जैसिंग पुत्र नन्दा 1/4, नाराणी पुत्री नन्दा 1/4, पारस पुत्र नन्दा 1/4 जाट सा0 गलवा के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त वर्णित आराजियात [illegible] संख्या 286 से 295 ग्राम गलवा की आबादी भूमि से दक्षिण पश्चिम के [illegible] स्थित होकर वर्तमान में पड़त पड़े है। आराजी संख्या 286, 287, 290 से 295 किता 8 रकबा 2.81 है0 राजस्व रेकार्ड में अकिंत खातेदारान के ही कब्जे मे है। आराजी संख्या 288 रकबा 0.60 है0 भूमि प्रतिवादीगण खातेदारान के नाम दर्ज होकर इन्ही के कब्जे में है। इसका उपयोग उपभोग प्रतिवादीगण ही ले रहे है। आराजी संख्या 289 रकबा 0.15 है0 भूमि प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 13:03:27 IST
Reason: SelfAttested

(जैसिंग पुत्र नन्दा, पारस पुत्र नन्दा, नाराणी पुत्री नन्दा, कंकु पत्नि नन्दा) के नाम दर्ज होकर मौके पर वादीगण उदा पिता नाथु जाट के कब्जे काश्त में है। मौके पर थोहर की बाड़ लगाकर वादी का कब्जा है। आराजी संख्या 289 रकबा 0.15 है0 मे से करीब 0.02 है0 संलग्न राजस्व नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार मौके पर रास्ता निकल रहा है जो आगे के खेतो में जाता है।

इस प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करने की भावना से पक्षकारान को आपसी समझाईश हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 17.02.2022 को ग्राम गलवा पहुॅचकर मज्मेआम पक्षकारान को बुलाकर आपसी समझाईश की गई जिस पर प्रतिवादीगणो द्वारा वादी के कब्जे शुदा भूमि को वादी के नाम दर्ज करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही कर आपसी सहमति व्यक्त करते हुए पत्रावली पर एवं पर्चे मौके पर हस्ताक्षर किये।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर अध्ययन किया तो पाया कि उक्त प्रकरण में वादीगण द्वारा वादवर्णित आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई है। और क्रेता के पक्ष में नामान्तकरण भी स्वीकृत हो चुका था किन्तु तत्कालीन समय में फ्रेगमेन्ट की निर्धारित सीमा से कम रकबे को क्रय करने पर उक्त क्रय शुदा रकबे के नामान्तकरण पर रोक होने से स्वीकृत शुदा नामान्तकरण का अमल नही हुआ जबकि मौके पर क्रेता वादीगण का कब्जा क्रय दिनांक से चला आ रहा है। और वादी के कब्जे शुदा भूमि को वादी के नाम दर्ज करने में प्रतिवादीगणो को भी कोई आपत्ति नही है जिससे इस प्रकरण में तनकीवार निर्णय के बजाय वादी का वाद दोनो पक्षकारान की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम गलवा पटवार हल्का गलवा के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 289 रकबा 0.15 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी को उनके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल न तो स्वयं करे न अन्य किसी से करावे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई दखल नही करें। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

22-03-2022

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 13:03:27 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–82/2014 (2014/00061) वाद पत्र

उनवान

1–उदा पुत्र नाथु जाट निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–पारस आत्मज नन्दा जाट निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–जेसिंग आत्मज नन्दा जाट निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–नारायण पुत्री नन्दा पत्नि नारायण जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–कंकु बेवा नन्दा जाट निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–उपपंजीयक महोदय कार्यालय रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम गलवा पटवार हल्का गलवा के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 289 रकबा 0.15 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी को उनके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल न तो स्वयं करे न अन्य किसी से करावे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई दखल नही करें। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

वाद में डिक्री आज दिनांक 22.03.2022 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

22.03.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 13:03:27 IST
Reason: SelfAttested